न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल, आर0ए0एस0

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 04/2015

प्रार्थी

राज्य सरकार जरिये
थानाधिकारी, पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी,
जिला (पश्चिम) महानगर, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

मंगलाराम पुत्र मेहराराम जाति पटेल,
निवासी– मोगड़ा कला तहसील लूणी,
जिला जोधपुर।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 पुलिसथाना कुड़ी भगतासनी जोधपुर, धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

– – –

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पेरोकार।
2. अप्रार्थी की ओर से धनपत चौधरी अभिभाषक उपस्थित।

–:: आ दे श ::– दिनांक : 13.03.2018

यह प्रकरण, थानाधिकारी, पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी जिला (पश्चिम) महानगर, जोधपुर ने अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया कि दिनांक 09.12.2014 को ए.सी.पी. ने उपस्थित होकर लिखित में फर्द जब्ती मय गिरफ्तार मुलजिम मंगलाराम व बरामद अवैध पेट्रोल व डीजल व अन्य सामग्री के मुकदमा हेतु पेश की। उन्होनें लिखित में अवगत कराया कि दिनांक 09.12.2014 को सरकारी वाहन मय अन्य पुलिस कर्मचारी के साथ मुखबीर की इतला पर तनावड़ा से मोगड़ा जाने वाली रोड़ पर मंगलाराम का ढाबा होटल आयी हुई है। ढाबा पर मंगलाराम अवैध रूप से पेट्रोल व डीजल बेचने का धंधा कर रहा था तथा अभी एक मोटर साईकिल वाले को पेट्रोल बेच रहा है। मुखबीर की इतला को सही मानते हुए मोगड़ा वक्त 10.45 ए.एम. पर मंगलाराम के ढाबे के नजदीक पहुॅचा तो एक व्यक्ति एक जरीकन एक मोटर साईकिल वाले का बेच रहा था। मोटर साईकिल वाले ने पैसे निकालकर दे रहा था, पुलिस आते देखकर बिना नम्बर की मोटर साईकिल चालू कर भाग गया, पीछा करने पर व मिला नहीं। मंगलाराम के ढाबा पहुॅचकर उक्त व्यक्ति को जरीकन लिये खड़ा था उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम मंगलाराम पुत्र मेहराराम जाति पटेल निवासी– मोगड़ा कला होना बताया।

जरीकन में क्या होने बाबत् पुछा तो उसने पेट्रोल होना बताया तथा पास ही ढाबे की तलाशी ली गई तो ढाबे में एक जरीकन हल्का हरा रंग को चैक कर नाप किया तो तीस लीटर डीजल पाया गया। एक आसमानी जरीकन में 25 लीटर पेट्रोल होना पाया गया। दोनों जरीकन में से एक बोतल पेट्रोल, एक बोतल डीजल रासायनिक सेम्पल हेतु लिया गया। पेट्रोल व डीजल रखने व बेचने बाबत् लाईसेंस व परमिट के बारे में पुछा गया तो उसके पास नहीं होना बताया व अवैध तरीके से रूपये कमाने के लिए बेचना बताया। अतः बरामद डीजल व पेट्रोल आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आता है तथा जब्तसुदा पेट्रोल व डीजल अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ है जिसे थाने में रखना खतरा बना रहता है। निस्तारण करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी मंगलाराम के अभिभाषक श्री धनपत चौधरी ने लिखित में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीके विरूद्व गलत आधारों पर प्रकरण संख्या 305 दिनांक 09.12.2014 को पुलिस थाना लूणी में दर्ज किया जबकि अप्रार्थी द्वारा धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लघंन नहीं किया। पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी द्वारा अप्रार्थीके ढाबे की तलाशी लेने तथा मौके पर पुछताछ करने पर उसके पास जरीकन में प पेट्रोल व डीजल होना बताया तथा एक जरीकन रंग हल्का हरा जो डीजल में भरा मिला तथा पास ही तेल नापने के उपकरण एक पॉच लीटर लोहे का, दो खाली जरीकन, लोहे का एक बड़ा कीमा मिलाना बताया गया है तथा गहरे आसमानी जरीकन में कुल 35 लीटर पेट्रोल तथा दूसरे जरीकन रंक हल्का हरा चैक करने पर उसमें 30 लीटर डीजल होना पाया। जबकि प्रार्थी का कोई ढाबा नहीं है। प्रार्थी कृषक होने से मोटर साईकिल व अन्य साधन रखता है, पुलिस ने जो प्रकरण बिना अनुज्ञा पत्र के पेट्रोल का अवैध संग्रहण व व्यापार करना बताया है जो पूर्णतया गलत है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जो प्रस्तुत किया है उसे निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब का अवलोकन किया । इस प्रकरण वस्तु स्थिति इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी जिला (पश्चिम) महानगर, जोधपुर ने इस्तागासा प्रस्तुत कर अवगत कराया कि दिनांक 09.12. 14 को डॉ0 दुर्गसिंह एसीपी ने लिखित में फर्द जब्ती मय गिरफ्तार शुदा मुल्जिम मंगलाराम वबरामद अवैध पेट्रोल व डीजल व अन्य समाग्री मुकदमा हेतु पेश की दिनांक 09.12.14 को डॉ0 दुर्गसिंह एसीपी मय जाब्ता मुखबिर ईत्तला विश्वसनीय होने पर मंगलाराम के ढाबा पहुंचने पर उसनने अपना नाम मंगलाराम पुत्र मेहराराम जाति पटेल निवासी मोगडा कलां होना बताया। ढाबा की तलासी लेने पर ढाबा में जरीकन गहरा आसमानी जरीकन 30 ली0 डीजल व तेल नापने का उपकरण एक पांच लीटर लोहे का , दो खाली जरीकन व एक लोहे का बडा कीमा भी बरामद किया गया। अप्रार्थी मंगलाराम के पेट्रोल व डीजल खरीद बेचने का लाईसेन्स व परमिट के बारे में पूछा गया तो नहीं होना बताया।

इस प्रकरण में यह भी तथ्य सामने आया कि अप्रार्थी मंगलाराम पुत्र मेहराराम पटेल का ढाबा तनावडा से मोगडा जाने वाली रोड पर ढाबा स्थित नहीं होने बाबत् अप्रार्थी ने किसी प्रकार का सबूत व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये व न ही पेट्रोल व

डीजल के खरीद बाबत बिल भी पेश नहीं किये। इससे यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थी मंगलाराम पुत्र मेहराराम पटेल अवैध रूप से पेट्रोल व डीजल की खरीद व बेचता है और उसके पास किसी प्रकार का परमिट व अनुज्ञापत्र भी नहीं है।

अतः अप्रार्थी मंगलाराम पुत्र मेहराराम के ढाबा तनावडा से मोगडा जाने वाली रोड से अवैध बरामद 25 ली0 पेट्रोल व 30 ली0 डीजल व तेल नापने का उपकरण एक पांच ली0 लोहे का, दो खाली जरीकन व एक लोहे का बड़ा कीमा को राज्यसात (Confiscate) किया जाता है।

थानाधिकरी पुलिस थाना कुडी भगतासनी जिला (पश्चिम) महानगर जोधपुर को निर्देश है कि वह जिला रसद अधिकारी जोधपुर अरूबरू जब्तसुदा 25 ली0 पेट्रोल व 30 ली0 डीजल को अधिकृत पेट्रोल पम्प को नियमानुसार बिक्री करे व तेल नापने का उपकरण एक पांच लीटर लोहे का, दो खाली जरीकन व एक लोहे का बडा कीमा को ऊंची से ऊंची किमत पर बोली लगाकर निलाम किया जावे। इन से प्राप्त राशि को राज्यकोष के निर्धारित मद में जमा करवाया जावे।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 13.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर